

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2016/डी-2/22

दिनांक:- 26/9/2016

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 186वीं बैठक दिनांक 16.09.2016 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

| क्र. सं. | एजेण्डा संख्या | जोन | विषय | निर्णय |
|----------|----------------|-----|---|---|
| 1. | 186.1 | - | भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 185वीं बैठक दिनांक 01.08.2016 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। | भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 185वीं बैठक दिनांक 01.08.2016 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया। |
| 2. | 186.2 | 08 | श्री सुरेश रहेजा, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स रहेजा डिजाईन एण्ड कोंट्रैक्ट लि.के वाणिज्यिक भूखण्ड, योजना पत्रकार कॉलोनी, ग्राम धौलाई, जयपुर पर प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि लीज जब तक Regularised नहीं हो जाती, तब तक भवन मानचित्र अनुमोदित नहीं किये जा सकते अतः सर्वप्रथम सम्बन्धित उपायुक्त जोन द्वारा निर्माण अवधि के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावे। इस संदर्भ में उपायुक्त जोन को यू.ओ. नोट प्रेषित किया जावे। |
| 3. | 186.3 | 09 | श्री अजीत सिंह ठक्कर, जरिये निदेशक, मैसर्स हरगोविन्द बिल्डकॉन प्रा.लि. खसरा नम्बर 263, पार्ट-I, ग्राम-रामनगरिया, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय उपयोग के संशोधित भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. संशोधित भवन मानचित्रों की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः संशोधित अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33, अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 2.25 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.248 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। पूर्व में आवेदक को 2.21 एफ.ए.आर. तक के मानचित्र जारी किये जा चुके हैं। अतः 2.21 एफ.ए.आर. के अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् आवासीय उपयोग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे। |
| 4. | 186.4 | 11 | श्री रामबाबू अग्रवाल, निदेशक, मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि. के उपविभाजित भूखण्ड पार्ट 'ए', खसरा नम्बर 1774/1, 1775/1, 2042 व अन्य, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम आवेदक से EWS/LIG फ्लैट्स का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों के अनुसरण में लिया जावे। |
| 5. | 186.5 | 11 | श्री प्रशान्त गुप्ता, निदेशक, मैसर्स अनुकम्पा होम्स प्रा.लि. के खसरा नम्बर 1407, 1408, 1413, 1414, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (पार्ट बी), ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित अफॉडेबल हाउसिंग EWS/LIG स्कीम के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय उपयोग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि |



| | | | | |
|---|-------|----|--|---|
| | | | बाबत। | सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने, समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात आवासीय उपयोग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे। |
| अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। | | | | |
| 6. | 186.6 | 08 | श्री विनय तांबी, जरिये पार्टनर, मैसर्स तरुछाया कॉलोनाईजर्स एल.एल.पी. के भूखण्ड संख्या जी-20, वेस्ट वे हाईट्स, ट्रक टर्मिनल योजना, ग्राम केशोपुरा असारपुर, भांकरोटा, अजमेर रोड़, जयपुर पर प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. उपायुक्त जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट ली जावे। 3. प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक द्वारा कुल 7076.30 वर्गमीटर एफ.ए. आर. प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अनुसार कुल प्रस्तावित एफ.ए.आर. का 7.5 प्रतिशत क्षेत्रफल EWS/LIG हेतु आरक्षित किया जाना अनिवार्य है, आवेदक द्वारा प्रस्तावित एफ.ए.आर. के 7.5 प्रतिशत के हिसाब से 530.72 वर्गमीटर क्षेत्रफल ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु आरक्षित किया जाना है, जिसके लिए आवेदक ने मूल भूखण्ड पर ही ई.डब्ल्यू.एस. के 15 फ्लैट्स (390.04 व.मी.) तथा एल.आई.जी. के 04 फ्लैट्स (166.26 व.मी.) कुल 19 फ्लैट्स तथा कुल क्षेत्रफल 556.30 व.मी. प्रस्तावित किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने, समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे। |
| 7. | 186.7 | 09 | श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स रिगालिया बिल्डर्स के भूखण्ड संख्या जी.एच. 1, आशादीप किंग्सकोर्ट, ग्राम जीरोता, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम आवेदक से प्रस्तावित एफ.ए.आर. को दृष्टिगत रखते हुए EWS/LIG फ्लैट्स का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों के अनुसरण में लिया जावे। पूर्व में योजना आशादीप किंग्सकोर्ट के अनुमोदन के समय इस ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के पेटे दिये गये 18 फ्लैट्स को समायोजित किया जावे। |
| 8. | 186.8 | 10 | श्री पारस डी गुन्देचा, निदेशक, वेक्स होटल्स एण्ड एस्टेट्स प्रा. लि. के खसरा नम्बर 28 से 34 तथा 130 से 135, ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित होटल के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन एवं अधिवास प्रमाण पत्र बाबत। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् होटल उपयोग के संशोधित भवन मानचित्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. संशोधित मानचित्रों की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. उपायुक्त जोन से स्वामित्व/लेखा एवं आवासीय आरक्षित दर की रिपोर्ट ली जावे। 4. वर्तमान में आवेदक द्वारा मौके पर कुल 12988.25 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल का निर्माण किया गया है, जबकि पूर्व अनुमोदित मानचित्र में कुल 10404.60 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल स्वीकृत किया गया था। अतः बिना अनुमति किये गये 2583.65 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल की बिना अनुमति निर्माण शास्त्र ली जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने, समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र |


Pr

| | | | | |
|-----|--------|----|--|--|
| | | | | प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात होटल उपयोग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित एवं अधिवास प्रमाण पत्र कर जारी किये जावे। |
| 9. | 186.9 | 14 | श्री भंवर लाल शर्मा, श्री तीर्थनारायण शर्मा एवं श्री प्रमोद कुमार शर्मा, जरिये मुख्यारनामाखास श्री मनमोहन अग्रवाल पुत्र श्री ब्रजमोहन अग्रवाल, पार्टनर, मैसर्स ए.बी. पी. अफोडेबल हाउसिंग के पुर्नगठित खसरा नम्बर 78/2111, 79, 79/1, 80, 81, 82/2112, 83, 87, 164/2117, 168, 169, 171, 172, 173, 174/1, 175/1, 176/1, ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जयपुर (अफोडेबल ग्रुप हाउसिंग मुख्यमंत्री जन आवास योजना) के भवन मानचित्र अनुमोदन करने बाबत। | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन 3ए के अनुसार Building Plan Approval Fees पर 100 प्रतिशत छूट तथा अधिकतम 2.25 एफ.ए.आर. तक बिना बेटरमेन्ट लेवी देय है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में बी.एस.यू.पी., अमानता राशि, मलबा धरोहर राशि, वर्षा जल संग्रहण राशि, अग्निशमन सुविधा हेतु लेय शुल्क तथा श्रमिक उपकर लिया जावे। 4. मौके पर एक अस्थाई साईट ऑफिस बना हुआ है, जिसे हटाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे। 5. प्रकरण में मौके पर प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सेक्टर सड़क के स्थान पर वर्तमान में 34 फीट चौड़ी सड़क उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन 3ए के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार 9 मीटर से 12 मीटर चौड़ी सड़क पर 15 मीटर ऊँचाई देय है। अतः प्रस्तावित भवन मानचित्र 15 मीटर ऊँचाई तक के ही अनुमोदित किये जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने, समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p> |
| 10. | 186.10 | 08 | श्री प्रशान्त गुप्ता, निदेशक, मैसर्स अभिनन्दन लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. के खसरा नम्बर 240, 241, 246, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित समूह आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. संशोधित मानचित्रों की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 87,499.83 वर्गमीटर प्रस्तावित है, जो कि 20,000 वर्ग मीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 4. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक है। अतः संशोधित भवन विनियम-2012 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे। 5. प्रकरण में आवेदक द्वारा 45.0 मीटर ऊँचाई से अधिक अर्थात् 59.575 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये है। अतः एम.एन.आई.टी./आई.आई.टी./एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कॉलेज, जोधपुर एवं राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, कोटा से स्ट्रक्चरल सेपटी के सम्बन्ध में अधिकतम 3 माह के भीतर सर्टिफिकेट लिया जावे। 6. पूर्व अनुमोदित मानचित्रानुसार कुल एफ.ए.आर. 24832.93 वर्गमीटर स्वीकृत किया गया था। तत्समय के प्रावधानानुसार प्रस्तावित एफ.ए.आर. के 5 प्रतिशत के हिसाब से आवेदक द्वारा ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया गया। वर्तमान में आवेदक द्वारा 24012.95 अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रस्तावित करते हुए कुल 48845.88 वर्गमीटर एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अनुसार कुल प्रस्तावित एफ.ए.आर. का 7.5 प्रतिशत क्षेत्रफल EWS/LIG हेतु |

(Signature)

| | | | |
|-----|--------|---|--|
| | | | <p>आरक्षित किया जाना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त एफ.ए.आर. के एवज में अन्य भूखण्ड खसरा नम्बर 1407, 1408, 1413, 1414, भाग बी, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर पर ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में मूल भूखण्ड (खसरा नम्बर 240, 241, 246, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जयपुर) की आवासीय आरक्षित दर रूपये 14,000/- रूपये है एवं अन्य भूखण्ड (भूखण्ड खसरा नम्बर 1407, 1408, 1413, 1414, भाग बी, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर) की आवासीय आरक्षित दर रूपये 12,000/- है। मुख्यमंत्री जन आवास योजनानुसार मूल भूखण्ड एवं अन्य भूखण्ड की आवासीय आरक्षित दर/डी.एल.सी. दर में 1:2 का अनुपात होने पर 1.5 गुना ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. दिया जाना आवश्यक है। अतः मूल भूखण्ड पर प्रस्तावित अतिरिक्त एफ.ए.आर. 24012.95 वर्गमीटर का 11.25 प्रतिशत के हिसाब से 2701.45 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए आवेदक द्वारा स्वयं की ही स्वामित्व के अन्य भूखण्ड भूखण्ड खसरा नम्बर 1407, 1408, 1413, 1414, भाग बी, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर पर ही कुल 28 EWS प्लेट (845.44 व.मी.) व 40 LIG प्लेट (1858.11 व.मी.) कुल 68 प्लेट्स (2703.55 व.मी.) निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिये आवेदक द्वारा एग्रीमेन्ट प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>7. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.83 अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 3.25 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.793 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.83 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें।</p> <p>8. जयपुर विकास प्राधिकरण के विनियम संख्या 9.6 की टिप्पणी (xii) के अनुसार भवन की ऊँचाई 30 मीटर तक होने पर उक्त भवन में प्रस्तावित शौचालय और स्नानाघार यदि सेवायतन शॉफ्ट में खुलेंगे तो सेवायतन शॉफ्ट का आकार 8.0 वर्गमीटर तथा शॉफ्ट की न्यूनतम भूजा 2.4 मीटर होगी। आवेदक द्वारा प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 60 मीटर प्रस्तावित की है, जिसमें सिर्फ प्रस्तावित शौचालय का वेन्टीलेशन शॉफ्ट में हाता है तथा उक्त शॉफ्ट का आकार 3.53 मीटर X 2.55 मीटर = 9.0 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने, समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p> |
| 11. | 186.11 | - | <p>नीतिगत निर्णय।</p> <p>समिति द्वारा विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि 2000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भवन मानचित्र अनुमोदन के समस्त प्रकरणों का निस्तारण जोन स्तरीय समिति के स्तर से निष्पादित किये जावें। इस हेतु कार्यालय आदेश जारी किया जावें।</p> |

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



26/9/16
सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

दिनांक:- 26/9/2016

क्रमांक जविप्रा/स.स./बीपीसी(बीपी)/2016/डी-2/22
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. आंते0 आयुक्त (पूर्व)/प्रशासन/(एलपीसी)/(मूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन-08, 09, 10, 11 एवं 14, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यवाही विवरण को अतिरिक्त जविप्रा वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।


26/9/16
सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।